

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र,
विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner,
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
1st Floor, GST Bhavan, Port Area,
Visakhapatnam - 530035

(F): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.23/2023 (निरीक्षक)
Establishment Order (N.G.O) No. 23/2023 (INSPECTORS)
दिनांक 20 जून 2023 Dated 20th June 2023

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को केन्द्रीय कर के निरीक्षकों के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के संबंध में, अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (संनिप्रा), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 69/2023 दिनांक 09.06.2023 के अनुसार विशाखापट्टणम सीजीएसटी जोन में आवंटन पर, निरीक्षकों के संवर्ग में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, निम्न पदस्थापन के आदेश दिए जाते हैं।

Consequent upon initial appointment of candidates sponsored by Staff Selection Commission as Inspectors of Central Tax vide EO (NGO) No. 69/2023 dated 09.06.2023 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad, and on allotment to Visakhapatnam CGST Zone, the following postings in the cadre of Inspectors are ordered with immediate effect and until further orders:-

सं क्र Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री) Name of the Officer (Shri)	मु.आ.का (वि.क्षे) में कार्य ग्रहण करने की तिथी DoJ in CCO (VZ)	तैनात किया गया आयुक्तालय Commissionerate Posted to
1.	ज्योति वेंकट सुब्बा रेड्डी Jyothi Venkata Subba Reddy	कार्यग्रहण बाकी है Yet to join	तिरुपति सी जी एस टी Tirupati CGST
2.	लक्ष्मी नरेन्द्र बाबु वल्लेपु Lakshmee Narendra Babu Vallepu	कार्यग्रहण बाकी है Yet to join	विशाखापट्टणम सी जी एस टी Visakhapatnam CGST
3.	सुश्मन वेंकट साई कोटिपल्लि Sushman Venkata Sai Kotipalli	14.06.2023 (FN)	विशाखापट्टणम सी जी एस टी Visakhapatnam CGST

2. अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए सं. क्र. 3 पर उल्लेखित अधिकारी को दिनांक 20.06.2023 के अपराह्न में कार्यमुक्त किया जाता है।

Officer at Sl No.3 stands relieved in the afternoon of today i.e 20.06.2023 to enable him report at his new place of posting.

3. संख्या क्रमांक 1 और संख्या क्रमांक 2 पर उल्लेखित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 07.07.2023 को या उससे पहले सीधे अपने पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करें, सिवाय उन स्थितियों को छोड़कर जब रिपोर्ट करने का तारीख केन्द्रीय कर के प्रधान आयुक्त, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (सीसीए), हैदराबाद द्वारा बढ़ा दी गई हो। अधिकारियों को, रिपोर्ट करने पर संबंधित आयुक्तालयों के उपर / संयुक्त आयुक्त के समक्ष भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा और आयुक्तालय को कार्य ग्रहण रिपोर्ट के साथ शपथ ग्रहण की एक प्रति इस कार्यालय को अग्रेषित करना है।

Officers at Sl No. 1 and Sl No. 2 are directed to report directly to their respective place of posting on or before 07.07.2023, except in cases where the date of joining has been extended by the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST

(Signature)

Commissionerate (CCA), Hyderabad. The officers are to take Oath of Allegiance before the Additional Commissioner / Joint Commissioner of respective Commissionerates upon joining and the Commissionerate is to forward a copy of the same to this office along with the joining report.

4. संबंधित आयुक्तालय से अनुरोध है कि इस आदेश के द्वारा पदस्थापन किए गए क्रमांक 1 और क्रमांक 2 पर उल्लेखित अधिकारियों के शिक्षा/जाति/पीएच मूल प्रमाणपत्रों को भी सत्यापित करें और केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (संनिप्रा), हैदराबाद द्वारा आवश्यक अन्य दस्तावेज प्राप्त करें।

Concerned Commissionerates are also requested to verify Original Education/Caste/PH Certificates of Officers at Sl No. 1 and Sl No. 2 of Para 1 above and obtain any other documents as may be required by the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad.

5. अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (सीसीए), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 69/2023 दिनांक 09.06.2023 में अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।

All other terms and conditions in EO (NGO) No. 69/2023 dated 09.06.2023 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad remain unaltered.

6. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.

7. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

8. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जोन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

 20/6/2023
(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

(फाइल सं GCCO/II/(3)/88/2023-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी)
[Issued from file GCCO/II/(3)/88/2023-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]
सेवा में / To

संबंधित व्यक्तियों को। / The Individual officers

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जीएसटी/तिरुपति जीएसटी/हैदराबाद (संनिप्रा) ।
2. मु.ले.अधिकारी/ आ.सं.अ विशाखापट्टणम/तिरुपति सीजीएसटी।
3. वे एवं ले. अधिकारी, विशाखापट्टणम/तिरुपति सीजीएसटी।
4. सूचना पट्ट/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Tirupati CGST / Hyderabad (CCA).
2. CAO/DDO of Visakhapatnam/Tirupati CGST.
3. PAO Visakhapatnam / Tirupati
4. Notice Board/website/Stock file.